संख्या- 35/2020/763/22-4-2020-48(30)/14

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 24 दिसम्बर, 2020

विषयः-प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22048/आधु-2/ई-प्रिजन/2020, दिनांक-03.09.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्तावित रू0 279.22 लाख में वेब कैमरा की धनराशि रू0 4,95,600/- को घटाते हुए निम्न विवरणानुसार रू0 2,74,26,400 की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कार्य मद	अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	कार्य योजना के संचालन हेतु मैनपावर की व्यवस्था	1,78,11,300	1,00,00,000
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था	96,15,100	
	योग-	2,74,26,400	1,00,00,000

(1) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस **(GEM)** के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में कार्यदायी संस्था एवं महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों तथा मशीनों का क्रय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2021 तक कर लिया जायेगा।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्रय" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/2020/बी-686/दस/2020-231/2020, दिनांक-03 दिसम्बर, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2020/763/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in